FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम- मण्डावर (दौसा)

मु0नं- 59/21(विविध) उनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा बनाम पटवारी हल्का बालाहेडा
मु0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 131, 132 व राज. भू. नियम 1957 की धारा 58, 59, 60, 66 एवं 86

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/12/2021		

प्रार्थी तहसीलदार **बैजूपाडा** के द्वारा राजस्व ग्राम **बालाहेडा** तहसील मण्डावर हाल **बैजूपाडा** के सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2863 रकबा9.69 मे से रकबा 0.07 हैक्टे. किस्म बंजड भूमि मे से मौके पर जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात् नकल जमाबंदी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का **बालाहेडा** एवं भू.अ.नि. बैजूपाडा एवं परिशिष्ट-ए एवं अभिशंषा तहसीलदार **बैजूपाडा** प्रस्तुत करने पर पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 कैम्प **बालाहेडा** में पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे।

तहसीलदार **बैजूपाडा** की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित रास्ते की भूमि सार्वजनिक उपयोग मे आ रही है एवं मौके पर कच्चा रास्ता बना हुआ है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में बंजड दर्ज है। इसलिये राजस्व रिकॉर्ड में गै0 मु0 रास्ता आमजन हित मे दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का बालाहेडा तहसीलदार बैजूपाडा व अन्य संलग्न दस्तावेजात व सुसंगत विधि प्रावधानों का अवलोकन किया गया। जिसमें उपरोक्त वर्णित **बंजड** भूमि के मौके पर संलग्न प्रस्तावित नक्शे के आमजन आवागमन हेतु रास्ता चालू होने से प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 स्वीकार किया जाता है। उक्त विवरण के संलग्न रिपोर्ट नक्शा के राजस्व रिकॉर्ड में से गै0 मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क0 सं0	नाम ग्राम	ख नं	रकवा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकवा जो मौके पर चालू है।
01	बालाहेडा	2863	9.69	बंजड	0.07

तहसीलदार बैजूपाडा उपरोक्त विवरण के संलग्न रिपोर्ट नक्शा लाल स्याही से प्रस्तावित रकवे को गै0मु0 रास्ता दर्ज तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में अमल परामद करे। खातेदारी यथावत रहेगी। रिपोर्ट पटवारी हल्का, तहसीलदार/नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा। तहरीर जारी हो।

मिसल फैसल शुमार होकर, नम्वर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)